

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

—: कार्यालयीन आदेश :-

क्रमांक 170 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2013

रायपुर, दिनांक 18-10-2013

शासन के पत्र क्रमांक एफ—/2013/34-2/2071 रायपुर दिनांक 13.08.2013 के पृष्ठानुसार "जम्मू एवं कश्मीर वाटर रिसोर्स (रेग्यूलेशन एण्ड मैनेजमेन्ट) एक्ट 2010" का परीक्षण कर छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इसकी उपयोगिता/आवश्यकता पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निम्नानुसार उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाता है।

1. डॉ. एम.एल. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर — अध्यक्ष
2. श्री एच.आर. मर्सकोले, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता — सदस्य
3. श्री आर.के. चौबे, अधीक्षण अभियंता, मण्डल रायपुर — सदस्य सचिव
4. श्री ए.के. साहू, अधीक्षण अभियंता, मण्डल दुर्ग — सदस्य
5. श्री राजेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, मण्डल बिलासपुर — सदस्य

समिति उपरोक्तानुसार एक्ट का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

OK
18/10/13

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक

18-10-13

पृ0क्र. 6519 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2013
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. डॉ. एम.एल. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री एच.आर. मर्सकोले, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री आर.के. चौबे, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री ए.के. साहू, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री राजेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

OK
18.10.13

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ रायपुर